पत्रांक–निग0विधि / विविध–15 / 2024.....

बिहार सरकार
निगरानी विभाग
सूचना भवन, पटना।

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष।
राज्यपाल के प्रधान सचिव।
पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार।
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक .....

विषय :– भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित, 2018) की धारा–19 के अन्तर्गत लोक सेवकों के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति में विलम्ब के संबंध में मार्गदर्शन।

प्रसंग :– भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) का पत्रांक–428 / 10 / 2021– AVD-IV(B) दिनांक 18.10.2024

महाशय

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनायी गयी है। भ्रष्ट लोक सेवकों के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित 2018) के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है।

भ्रष्ट लोक सेवकों के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही में 'संज्ञान' लिए जाने से पूर्व, सक्षम प्राधिकार के स्तर से निर्गत, अभियोजन स्वीकृत्यादेश न्यायालय के समक्ष समर्पित किया जाना आवश्यक है।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक–428 / 10 / 2021–ए0वी0डी0–IV(बी0) दिनांक 18.10.2024 द्वारा अभियोजन स्वीकृत्यादेश के प्रस्तावों के गठन, उक्त प्रस्तावों पर विचार करने की प्रक्रिया सहित विभिन्न चरण विचारण एवं निर्णय हेतु समय–सीमा का निर्धारण इत्यादि प्रावधानों के संबंध में विस्तृत अनुदेश प्राप्त कराते हुए स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु सभी स्तर के सक्षम प्राधिकार से आवश्यक अनुपालन का आदेश दिया गया है। अभियोजन स्वीकृति से संबंधित सभी पक्षकारों के क्रिया कलापों में स्पष्टता एवं एकरूपता बनाए जाने, विभिन्न चरणों पर प्रस्ताव के पुनरावलोकन, प्रस्ताव के त्रुटियों के त्वरित निराकरण आदि द्वारा अभियोजन स्वीकृत्यादेश की प्राप्ति में विलम्ब से बचाव हेतु उपर्युक्त वर्णित अनुदेश के अनुपालन आदेश दिया गया है।

प्राथमिक स्तर पर जाँच कर त्रुटियों के निराकरण हेतु एकल खिड़की (Single Window) प्रक्रिया का प्रावधान अनुदेश की कंडिका–4 में वर्णित करते हुए यह आदेशित है कि अभियोजन स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु सक्षम प्रत्येक प्राधिकार द्वारा अभियोजन स्वीकृति के प्रस्ताव को ग्रहण कर अनुवर्ती कार्रवाई हेतु एक पदाधिकारी नामित किया जाना है।

पूर्व में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित, 2018) की धारा 17'A' के प्रकरणों को ग्राह्य करने के लिए विभागीय पत्रांक–4167 अनु0 दिनांक 29.08.2024 द्वारा पदाधिकारी नामित कर उक्त पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। कतिपय पदाधिकारियों के नामित किए जाने की सूचना विवरणी सहित प्राप्त कराई गई है।

अतएव अनुरोध है कि जिन पदाधिकारियों को 17'A' के तहत प्रकरणों को ग्राह्य करने के लिए नामित किया गया था उन्हीं पदाधिकारियों को अभियोजन स्वीकृत्यादेश के प्रस्ताव प्राप्त कर अनुवर्ती कार्रवाई हेतु भारत सरकार से प्राप्त अनुदेश की कंडिका 4(i) के अनुपालन के प्रयोजन से नामित करते हुए संलग्न प्रपत्र में सूचना उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

साथ ही, यह भी अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों को भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक–18.10.2024 (अनुलग्नक सहित) आवश्यक अनुपालन हेतु प्राप्त कराई जाय जो राज्य के किसी लोक सेवक के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति देने हेतु सक्षम प्राधिकार हो।

अनु0– 1. प्रपत्र
2. भारत सरकार का पत्र दिनांक 18.10.2024
(संलग्न अनुदेश सहित)

विश्वासभाजन,

ह०/–
(अरविन्द कुमार चौधरी)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक– **/पटना, दिनांक :–**

प्रतिलिपि– अपर सचिव, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक–428/10/2021–AVD-IV(B) दिनांक–18.10.2024 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक– 611 **/पटना, दिनांक :–** 22/01/25

प्रतिलिपि– आ0टी0प्रबंधक, निगरानी विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/1/2025
अपर मुख्य सचिव